

6/5/15

समाहरण/आदेश, 2015

2695

10/05/15

6/5/15

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय - बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-13 पर दर्ज "तेली" जाति को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-126 पर स्वतंत्र रूप से "तेली" (हिन्दु एवं मुस्लिम) जाति को शामिल करने के संबंध में।

क

6/5

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में पदत शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) (क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में किसी पिछड़े वर्गों के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) (ग) के अनुसार समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-09 दिनांक-17.04.2015 द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) (क) के तहत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) क्रमांक-13 पर दर्ज "तेली" जाति के संबंध में निम्नांकित सलाह दी गयी है -

"आयोग के निर्णयानुसार बिहार अधिनियम-12, 1993 की संशोधित अधिनियम-2007 की धारा-9 (1) (क) के अधीन राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना की यह सलाह है कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-13 पर दर्ज 'तेली' जाति को विलोपित कर दिया जाय तथा 'तेली' (हिन्दु एवं मुस्लिम) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) की अंतिम प्रविष्टि में स्वतंत्र रूप से शामिल कर दिया जाय।"

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-126 पर "तेली" (हिन्दु एवं मुस्लिम) जाति को स्वतंत्र रूप से शामिल कर दिया जाय।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

श्री श्री गणेशाय नमः
रक्षी सचिका
तहसील कार्यालय
समाहरण सचिका
को सौंपा जाय
10/05/15

1259
11/05/15

कृ०पृ०उ०

आदेश-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से -

ह0/-

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/वि-2-पि0व0आ0-07/2002 सा0प्र0.....पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/वि-2-पि0व0आ0-07/2002 सा0प्र0.6137.....पटना-15, दिनांक- 22-04-2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमन्त्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्वदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।

जापांक - 732 - .../सा0प्र0, दिनांक - 16/05/2015

प्रतिलिपि

: सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रमण्डल विकास पदाधिकारी, इलाहाबाद

जिला को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई जैसा ।

प्रतिलिपि : अनुसूचित जहाजिकारी, एचए, इरमंवा / केवीपुर / विरौल को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई जैसा ।

प्रतिलिपि : वरीय इज समाहती, जिला सामान्य प्रशासन, इरमंवा / जिला कल्याण जहाजिकारी, इरमंवा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई जैसा ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विभाग जहाजिकारी, एचए कार्ड एचए, इरमंवा / प्रभारी कार्ड एचए प्रकल्प, समाहलयालय, इरमंवा को सूचनाएं एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु जैसा ।

प्रतिलिपि : सभी प्रवर्गों को वरीय प्रभारी जहाजिकारी - (अ) - वरीय इज समाहती, इरमंवा जिला को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई जैसा ।

16.5.15

स्थापना इज समाहती,
इरमंवा